न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1326 वर्ष 2022
(सी0जी0 नम्बर 104 वर्ष 2022)

किशन मंडल बनाम उत्तराखण्ड राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या 409 वर्ष 2022
अन्तर्गत धारा 147,148,149,297,323,307,
326,504 एवं 506 भा0द0सं0।
थाना–ऋषिकेश, जिला देहरादून।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री मनोज नागपाल।
अभियोजन की ओर से–श्री राजेश पैन्यूली
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांक 18–08–2022

अभियुक्त किशन मण्डल पुत्र संजय प्रसाद मण्डल, निवासी न्यू त्रिवेणी कालोनी, चन्द्रेश्वर नगर, थाना ऋषिकेश जिला देहरादून की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु0अ0सं0 409 वर्ष 2022 अन्तर्गत धारा 147,148,149,297,323,307,326,504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त की ओर से सुनील कुमार पुत्र अशोक कुमार द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा लल्लन झा द्वारा दिनांक 28.07.2022 को थाना ऋषिकेश को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उनके पडोस के पंडित जी की माताजी का अंतिम संस्कार हेतु वह चन्द्रभागा घाट गंगा किनारे लेकर गये थे। वहां पर निगम पार्षद, पति किशन मंडल, जितेन्द्र, अनिल प्रदीप और लगभग 25 लोग अन्य आकर अंतिम संस्कार के लिए मना करने लगे और चिता में लगी हुई आग को बुझाने लगे और डंडे तथा पत्थरों से चिता को बुझाने लगे। मना करने पर किशन मंडल सबसे पहले धारदार हथियार गडासा और कटार तथा उसके साथी लोहे के पाईपों से अंतिम संस्कार में आये लोगों को बुरी तरह से मारने लगे जिसमें वह बेहोश होकर गिर पडे तथा लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया तथा उनकी जेब में रखे हुए 10,500/रू0 भी लेकर फरार हो गए। उनके सिर तथा जबडे पर गंभीर चोटें आयी। जिस कारण वादी मुकदमा के द्वारा सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है, उसें उक्त मामले में पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है और उसने कोई घटना कारित नहीं की है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.07.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 147,148,149,325,323,504 एवं 506 भा0दं0सं0 में दर्ज हुई थी। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की तिथि व समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अभियुक्त देहरादून जिले का स्थाई निवासी है। अतः अभियुक्त द्वारा उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जलती चिता पर पत्थर बरसाये गए तथा पानी फेंका गया तथा अंतिम संस्कार में आये वादी व

अन्य व्यक्तियों के साथ लाठी व डंडों, लोहे की रॉड व पत्थरों से मारपीट की गयी जो बहुत ही घृणित कार्य है। मामला गंभीर प्रकृति का है तथा अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। यदि अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो उसके फरार होने तथा साक्ष्य को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा प्रपत्रों एवं मूल पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन व पक्षकारों के तर्क–वितर्को से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक 30.07.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है। पत्रावली के परिशीलन से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त मामले में डाक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें तेज धारदार हथियार से चोटों का कारण दर्शित नहीं है जो चोटें आयी है वह Blunt object हथियार से आना दर्शित है तथा सिर पर है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा मामले के गुणदोष पर विचार किये बिना, इस स्तर पर मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को मद्देनजर रखते अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत दर्शित हो रहा है। लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त किशन मण्डल पुत्र संजय प्रसाद मण्डल, का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को **₹ 50,000–** (₹ पचास हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रत्येक 50,000–50,000/रू0 के सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनकी संतुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

(नसीम अहमद)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
ऋषिकेश, देहरादून।